

अध्याय—X

अनुगामी गाड़ी पद्धति

10.01. अनुगामी गाड़ी पद्धति की आवश्यक बातें:—

- (1) जहाँ गाड़ियों का संचालन अनुगामी गाड़ी पद्धति के अनुसार किया जाता है, वहाँ उन्हें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए एक के बाद एक लगातार उसी दिशा में उसी लाइन पर ऐसी रीति और समय के ऐसे अन्तर में भेजा जा सकेगा जैसा कि विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित किया जाए।
- (2) गाड़ियां अनुगामी गाड़ी पद्धति के अनुसार तब तक नहीं चलाई जायेंगी जब तक कि अगले ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने गाड़ियां लेने की तैयारी की बावत संदेश का आदान-प्रदान नहीं कर लिया है और इसके अतिरिक्त जब तक यह आश्वासन नहीं दे दिया है कि जिस स्टेशन से अनुगामी गाड़ियां भेजी जायेगी उस ओर वह तब तक कोई गाड़ी नहीं भेजेगा जब तक कि वे सब अनुगामी गाड़ियां उसके स्टेशन पर पहुंच नहीं जाती और जब तक कि उसे विपरीत दिशा में गाड़ियां भेजने की अनुमति नहीं मिल जाती।

10.02. रेल संरक्षा आयुक्त को रिपोर्ट भेजना:— जब रेल के किसी भाग पर नियम 7.01 के अधीन अनुगामी गाड़ी पद्धति आरम्भ की जाती है तो उसकी रिपोर्ट रेल संरक्षा आयुक्त को तार द्वारा भेजी जायेगी।

10.03. अनुगामी गाड़ी पद्धति पर गाड़ियों के संचालन के लिए अनुपालनीय शर्तें:— अनुगामी गाड़ी पद्धति चालू करने पर निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगा; अर्थात्—

- (क) कोई गाड़ी तब तक प्रस्थान नहीं करेगी, जब तक लोको पायलट को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रारूप (फार्म) में लिखित प्रस्थान प्राधिकार नहीं दे दिया जाता और उससे उसकी लिखित अभिस्वीकृति नहीं मिल जाती। यदि गाड़ी का उस स्टेशन पर रुकना निर्धारित नहीं है तो उसको इस काम के लिए रोका जाएगा।
- (ख) प्रस्थान प्राधिकार में, उस अगले स्टेशन का नाम, जिस पर उसे रुकना है, गति जिससे उसे चलना है और उससे पहले जाने वाली गाड़ी के छूटने के वास्तविक समय का उल्लेख किया जायेगा।
- (ग) आगे जाने वाली हर गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड को इस बात की सूचना दी जाएगी कि उनके पीछे एक अनुगामी गाड़ी चलेगी तथा इस बात की भी सूचना दी जाएगी कि वह अनुगामी गाड़ी लगभग कितने समय बाद प्रस्थान करेगी।
- (घ) किसी स्टेशन से कोई अनुगामी गाड़ी तब तक नहीं चलेगी जब तक कि उससे पहले वाली गाड़ी को प्रस्थान किये कम से कम 15 मिनट या विशेष अनुदेशों द्वारा नियत उससे कोई कम समय, बीत नहीं गया है।
- (ङ) पहली गाड़ी के पीछे चलने वाली सभी गाड़ियां समान गति से चलाई जायेंगी और वह गति विशेष अनुदेशों के अधीन के सिवाय, 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी।
- (च) अगले ब्लॉक स्टेशन को हर गाड़ी के प्रस्थान का वास्तविक समय और पिछले ब्लॉक स्टेशन को हर गाड़ी के पहुंचने का वास्तविक समय तत्काल सूचित किया जायेगा, तथा
- (छ) किन्हीं दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच एक ही समय में चलने वाली अनुगामी गाड़ियों की संख्या स्टेशन दूरी के हर 5 किलोमीटर के लिए एक गाड़ी से अधिक नहीं होगी और जब तक विशेष अनुदेशों द्वारा अनुमति नहीं मिल जाती तब तक, चाहे स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी ही क्यों न हो, इन गाड़ियों की संख्या चार से अधिक नहीं होगी।

CHAPTER-X

THE FOLLOWING TRAINS SYSTEM

10.01 Essentials of the Following Trains System:-

- (1) Where trains are worked on the Following Trains System they may be dispatched from one station to the next, following each other in succession in the same direction on the same line in such manner and at such intervals of time as may be prescribed by special instructions.
- (2) Trains shall not be worked on the Following Trains System unless the Station Master of the block station in advance has exchanged message regarding his readiness to receive the trains and has, in addition, given his assurance that no train will be allowed to leave his station for the station from which the following trains are to be dispatched, until the latter have all arrived at his station and until he has received permission to dispatch trains in the opposite direction.

10.02 Report to the Commissioner of Railway Safety:- When the Following Trains System is introduced on any portion of a railway under Rule 7.01, a report shall be sent by telegram to the Commissioner of Railway Safety.

10.03 Conditions to be observed in working trains on the Following Trains System:-

When the Following Trains System is adopted, the following conditions shall be observed, namely: -

- (a) No train shall start until the Loco Pilot has been given a written authority to proceed in the form prescribed for the purpose and a written acknowledgment thereof has been obtained from him, the train being stopped for the purpose, if not booked to stop,
- (b) The authority to proceed shall state the station at which the train is next to stop, the speed at which it is to run and the actual time of departure of the preceding train,
- (c) The Loco Pilot and Guard of each preceding train shall have been informed of the fact that a train will follow, and of the probable period which will elapse before the following train shall start,
- (d) A train shall not follow another from a station unless there has elapsed since the departure of the previous train, an interval for not less than 15 minutes, or such shorter interval as may be fixed by special instructions,
- (e) All the trains following the first train shall be timed to run at the same speed and such speed shall not exceed 25 kilometers an hour except under special instructions,
- (f) The actual time of the departure of each train shall at once be intimated to the block station in advance and the actual time of arrival of each train shall at once be intimated to the block station in rear, and
- (g) The number of following trains running at the same time between any two block stations shall not be more than one for each 5 kilometers of station interval; and unless permitted by special instructions, shall never exceed four, whatever may be the length of the station interval.

10.04. अनुगामी गाड़ी पद्धति पर लोको पायलट या गार्ड को प्रस्थान प्राधिकार देना:-

- (1) गार्ड या लोको पायलट को प्रत्येक प्रस्थान प्राधिकार स्टेशन मास्टर अथवा विशेष अनुदेशों के अधीन इस काम के लिए नियुक्त किसी अन्य रेल सेवक द्वारा दिया जायेगा।
- (2) जब उप-नियम (1) के अधीन प्रस्थान प्राधिकार लोको पायलट को दिया जाता है तो उसकी एक प्रति गार्ड को भी दी जायेगी।
- (3) यदि उप-नियम (1) के अधीन प्रस्थान प्राधिकार गार्ड को दिया जाता है तो वह—
 - (क) या तो स्वयं गार्ड द्वारा लोको पायलट को सौंप दिया जाएगा, अथवा
 - (ख) उस पर गार्ड के हस्ताक्षर होने के बाद या तो स्टेशन मास्टर अथवा विशेष अनुदेशों द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किसी अन्य रेल सेवक द्वारा लोको पायलट को सौंप दिया जाएगा।
- (4) उपनियम (2) या (3) के अधीन लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि —
 - (क) उसकी गाड़ी प्रस्थान करने के लिए तैयार नहीं है, और
 - (ख) यदि उसकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को पास करने के लिए प्रतीक्षा कर रही है तो जब तक बाद वाली सम्पूर्ण गाड़ी अन्दर नहीं आ जाती है और उसकी गाड़ी के लिए परिचालित लाइन पूरी तौर से साफ नहीं हो जाती है।

10.05 अनुगामी गाड़ी पद्धति पर प्रस्थान प्राधिकार:- अनुगामी गाड़ी पद्धति पर लिखित प्रस्थान प्राधिकार का प्रयोग निम्नलिखित प्रारूप (फार्म) में होगा, अर्थात्:-

क्रम सं०.....

रेल

अनुगामी गाड़ी पद्धति
प्रस्थान प्राधिकार

अप (या डाउन)

गाड़ी नं०.....अप (या डाउन) तारीख.....

समय.....घंटे.....मिनट.....

स्टेशन से.....स्टेशन तक.....

लोको पायलट और गार्ड!

- (1) आपको अपनी गाड़ी के साथ.....स्टेशन से स्टेशन तक प्रस्थान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
- (2) *आपकी गाड़ी के आगे जाने वाली गाड़ी नं०.....इस स्टेशन से.....घंटे.....मिनट पर छूटी है।
- (3) *गाड़ी नं० आपकी गाड़ी के पीछे इस स्टेशन से.....घंटे मिनट पर छूटेगी।
- (4) आपसे अपेक्षा है कि आप.....किलोमीटर प्रति घंटे की प्रतिबन्धित गति का पालन करेंगे।

हस्ताक्षर.....

.....का स्टेशन मास्टर

स्टेशन की मोहर (स्टाम्प)

गार्ड के हस्ताक्षर.....स्टेशन पर।

* जो लागू नहीं होता है उसे काट दें।

10.04 Delivery of authority to proceed to Loco Pilot or Guard on the Following Trains System:-

- (1) Every authority to proceed shall be delivered to the Guard or Loco Pilot by the Station Master, or by some railway servant appointed in this behalf under special instructions.
- (2) When such authority to proceed is delivered to the Loco Pilot under sub rule (1), a duplicate shall be given to the Guard.
- (3) When an authority to proceed is delivered to the Guard under sub rule (1), it shall be either: -
 - (a) Handed personally by the Guard to the Loco Pilot; or
 - (b) Countersigned by the Guard and then handed to the Loco Pilot either by the Station Master or by some railway servant appointed in this behalf by special instructions.
- (4) An authority to proceed shall not be handed to the Loco Pilot under sub rule (2) of (3):-
 - (a) until the train is ready to start, and
 - (b) If the train is waiting to pass another train, until the whole of the latter train has come in and is clear of the running line for the former train.

10.05 Authority to proceed on the Following Trains System:- The written authority to proceed for use on the Following Trains System shall be in the following from: -

S.No.

Railway.....

**THE FOLLOWING TRAINS SYSTEM
AUTHORITY TO PROCEED**

UP (or DOWN)

Train No..... Up (or Down) Date

Time..... Hours Minutes

From..... Station

To..... Station

To Loco Pilot and Guard:

- (1) You are hereby authorized to proceed with your train from Station to Station.
- (2) *Train No. Ahead of your train left this station at hours minutes.
- (3) *Train No. shall follow your train from this station at Hours minutes.
- (4) You are required to observe a speed restriction of kilometers an hour.

Signed

Station Master at

(Station stamp)

Signatures of Guard at Station.

*Strike out whichever is inapplicable.

स्टेशन पर पहुंचते ही लोको पायलट तुरन्त यह टिकट स्टेशन मास्टर को या इसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को दे देगा और वह व्यक्ति इसे तत्काल रद्द करके अभिलेख (रिकार्ड) में रख लेगा।

10.06. अनुगामी गाड़ी पद्धति पर प्रस्थान प्राधिकार को उचित रूप से तैयार करने की जिम्मेदारी:—

- (1) यदि नियम 10.04 के उपनियम (1) के अधीन लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार सौंपा जाता है तो स्टेशन मास्टर यह देखेगा कि –
 - (क) वह इस प्रयोजन के लिए निर्धारित रूप (फार्म) में सही-सही भरा गया है, और
 - (ख) उस पर पूरे हस्ताक्षर स्याही से किये गये हैं।
- (2) यदि नियम 10.04 के उपनियम (1) के अधीन लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है तो वह इस बावत अपना समाधान कर लेगा कि उसे दिया गया प्रस्थान प्राधिकार इस हेतु निर्धारित प्रारूप (फार्म) में ठीक-ठीक और पूरी तरह तैयार किया गया है और वह तब तक अपनी गाड़ी लेकर आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि उसमें कोई भूल-चूक थी, तो उसे सुधार नहीं दिया गया है।
- (3) यदि नियम 10.04 के उपनियम (3) के अधीन गाड़ी के गार्ड को प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है तो लोको पायलट को सौंपने से पहले वह भी इसी तरह अपना समाधान कर लेगा।

10.07. अनुगामी गाड़ी पद्धति पर आती हुई गाड़ी या गाड़ियों के मार्ग में अवरोध:— जब तक यह संचालन पद्धति लागू है, तब तक किसी आती हुई गाड़ी के मार्ग में बाह्यतम सम्मुख (फेसिंग) कांटों के बाहर लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा।

10.08. अनुगामी गाड़ी पद्धति के अनुसार संचालन की समाप्ति:— यह निश्चय कर लेने पर कि उसी दिशा में और अनुगामी गाड़ियां नहीं भेजी जायेंगी, स्टेशन मास्टर उसकी सूचना संदेश द्वारा अगले ब्लॉक स्टेशन को भेजेगा। उसके बाद उन दोनों स्टेशनों के बीच किसी भी दिशा में कोई और गाड़ी तब तक नहीं भेजी जायेगी जब तक कि अन्तिम गाड़ी अगले ब्लॉक स्टेशन पर पहुंच नहीं जाती और उन दोनों स्टेशनों के बीच की लाइन साफ नहीं हो जाती।

10.09. अनुगामी गाड़ी पद्धति पर गाड़ियों की रक्षा:—

- (1) यदि कोई गाड़ी स्टेशनों के बीच रुक जाए और वह पांच मिनट से अधिक रुकती है या रुकने की संभावना है तो नियम 6.03 के उपबन्धों के अनुसार इसकी रक्षा की जाएगी। सिवाय इसके कि लाइन किसी भी गेज की हो, गार्ड पीछे की ओर गाड़ी से 250 मीटर की दूरी पर एक पटाखा रखेगा और 500 मीटर की दूरी पर दो पटाखे रखेगा, जो एक दूसरे से 10 मीटर दूर होंगे।
- (2) यदि स्टेशनों के बीच रुकी हुई गाड़ी दुर्घटना, खराबी, अवरोध अथवा किसी अन्य असाधारण कारण से आगे नहीं जा सकती है तो लोको पायलट भी आगे की ओर गाड़ी की उसी रीति से रक्षा की व्यवस्था करेगा जैसा कि गार्ड के लिए निर्धारित है।



This ticket shall be given up by the Loco Pilot immediately on arrival to the Station Master or other person authorized to receive it and such person shall immediately cancel it and place it on record.

10.06 Responsibility as to proper preparation of authority to proceed on the Following Trains System: -

- (1) When an authority to proceed is delivered to the Loco Pilot under sub rule (1) of Rule 10.04, the Station Master shall see:-
 - (a) That it is properly filled up in the form prescribed for the purpose and
 - (b) That it is signed in full and in ink.
- (2) When the authority to proceeds is delivered to the Loco Pilot under sub rule (1) of Rule 10.04, he shall satisfy himself that the authority to proceed delivered to him has been correctly and completely prepared in the form prescribed for the purpose and he shall not proceed with his train until he has done so and the mistake or omission, if any, has been rectified.
- (3) When an authority to proceed is delivered to the Guard of the train under sub-rule (3) of Rule 10.04, he shall, before it is handed to the Loco Pilot, satisfy himself similarly.

10.07 Obstruction in face of approaching train or trains on the Following Trains System:-

The line shall not be obstructed outside the outermost facing points in face of an approaching train as long as this system of working is in force.

10.08 Cessation of working on the Following Trains System:- When it is intended that no more following trains shall be dispatched in the same direction, the Station Master shall intimate such intention by a message to the block station in advance, after which no more trains in either direction shall be dispatched between the two stations until the last train has arrived at the block station in advance and the line has been cleared between the two stations.

10.09 Protection of trains on the Following Trains System:-

- (1) When a train is stopped between stations and if the detention exceeds or is likely to exceed five minutes, it shall be protected in accordance with the provisions of Rule 6.03, except that the Guard going back to protect the train shall place one detonator, at 250 meters from the train on the way out, and two detonators, 10 meters apart, at 500 meters from the train, irrespective of gauge.
- (2) In case the train, stopped between stations, is unable to proceed on account of accident, failure, obstruction or any other exceptional cause, the Loco Pilot shall also arrange to protect the train in the front in the manner laid down for the Guard.

